## राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील /टी.ए./2004/552/जिला गंगानगर

1– श्रीमती कमलादेवी जैन पत्नि स्व. श्री टीकमचन्द जैन
2– विकास कुमार जैन पुत्र स्व. श्री टीकमचन्द जैन
3– अनिल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री टीकमचन्द जैन
4– जयकुमार जैन पुत्र स्व. श्री टीकमचन्द जैन
समस्त निवासी रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल निवासी जैन स्टेशनर्स, कपड़ा मार्केट जयपुर, समस्त जरिये मुख्त्यारआम श्री सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री बंशीधर यादव जाति यादव निवासी 12 बी उनियारों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।

**–अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1– राजेन्द्र कुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति जैन
2– पारस कुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति जैन
3– कैलाश चन्द्र पुत्र गुलाबचन्द जाति जैन
समस्त निवासी ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4– श्रीमती सीता देवी पत्नि श्री दिनेश कुमार जाट निवासी चिथवाड़ी तहसील चोमू जिला जयपुर।
5– श्रीमती रामप्यारी पत्नि श्री धर्म सिंह, जाति जाट, निवासी इसरवाला तहसील आमेर जिला जयपुर।
6– श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री रामेश्वर, जाति जाट, निवासी जयसिंहपुर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7– श्रीमती हरफुल देवी पत्नि श्री रामु, जाति जाट, निवासी लल्या का बास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8– श्रीमती नरबदा पत्नि श्री कैलाश जाट, निवासी किशोरपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9– श्रीमती भूरी देवी पत्नि श्री नारायण लाल जाट, निवासी गोपालनगर तहसील फागी, जिला जयपुर।
10– श्रीमती रामकुडी पत्नि हनुमान सहाय जाट, निवासी गोपाल नगर, तहसील फागी, जिला जयपुर।
11– विमल पुत्र गुलाबचन्द, जाति जैन, निवासी ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
12–पदमचन्द पुत्र गुलाबचन्द जैन, निवासी मकान नं. 1647/4 गुड़गांव हरियाणा।

13—कमला पुत्री गुलाबचन्द जैन पत्नि श्री ताराचन्द जैन निवासी मकान नं. 2168, मनिहारों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर।
14— श्रीमती अचरज देवी पत्नि स्व. नत्थू लाल निवासी मकान नं. 9, शान्ति निकेतन, विजय टेन्ट हाउस के सामने, बरकत नगर, जयपुर।
15— महावीर प्रसाद पुत्र नत्थूलाल निवासी मकान नं. 9, शान्ति निकेतन, विजय टेन्ट हाउस के सामने, बरकत नगर, जयपुर।
16— श्रीमती पारसी देवी पत्नि प्रकाश चन्द बाकलीवाल, निवासी मार्फत प्रकाश चन्द कैलाश चन्द बाकलीवाल, माधोरायपुरा, तहसील फागी, जयपुर।
17— श्रीमती सन्तोष देवी पत्नि महावीर प्रसाद बाकलीवाल पुत्री नत्थूलाल निवासी जितेन्द्र भवन, बस स्टेन्ड के पास, मालपुरा, टोंक।
18— श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नि नवरतन कला पुत्री नत्थू लाल निवासी मकान नं. बी—17, सेठी कालोनी, जयपुर।
19— श्रीमती रेखा निगोदिया पत्नि जय कुमार निगोदिया पुत्री नत्थूलाल निवासी मकान नं. 704, राजस्थान नर्सिंग होम के पीछे, सूर्या नगर, गोपालपुरा रोड, जयपुर।
20— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला जयपुर।
21— उप—पंजीयक, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....**प्रत्यर्थीगण**

**खण्ड पीठ**
**श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य**
**श्री पंकज नरूका, सदस्य**

**उपस्थित :—**
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री नरेश कुमार जैन, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

**निर्णय दिनांक :—17.02.2020**

1— यह अपील अन्तर्गत धारा—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28—09—2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 व नत्थूलाल पुत्र सुठीलाल ने राजस्व वादपत्र राजस्थान सरकार के विरूद्ध

विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू के न्यायालय में विवादित आराजीयात बाबत प्रस्तुत कर अंकित किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 895 से 899, 2690, 2692, 2696 व 2702 कुल किता 10 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा है जो वाके ग्राम रेनवाल माजी, तहसील फागी में स्थित है जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 काबिज हैं और काश्त करते हैं, परन्तु त्रुटिवश विवादित आराजीयात राजस्व कर्मचारी द्वारा सिवायचक दर्ज कर दी गई थी। पूर्व में अन्य भूमि के साथ यह भूमि वादीगण के हक पूर्वाधिकार सुठीलाल की खातेदारी में थी, किन्तु पारिवारिक विभाजन में वादीगण के पिता गुलाबचन्द के कब्जा व हिस्सा में आई। गुलाबचन्द की मृत्यु के पश्चात वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 बतौर खातेदार काबिज है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–10–1995 के द्वारा वादपत्र को स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के न्यायलय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–9–2005 के द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी को समझने में भारी अवैधानिकता कारित की है तथा अपील को शुन्य घोषित कर निरस्त किया है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि तकनीकी आपत्तियां जब पुख्ता न्याय करने के मध्य आती हैं तो उन्हें नजरअन्दाज कर देना चाहिए तथा जहां पर पुख्ता न्याय किया जाना है वहां तकनीकी आपत्तियां बीच में नहीं आती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर यह न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् विधिक वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने के प्रार्थना पत्र पर उच्च तकनीकी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी तथा विलम्ब को क्षमा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार की आपत्तियां पुख्ता न्याय करने के मध्य नहीं आनी चाहिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज किए जाने में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनदेखी की गई है। अभिभाषक अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि मृतक नत्थूलाल पुत्र सुठीलाल केवल तरतीबी प्रत्यर्थी था उसके विरूद्ध किसी प्रकार का

कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.1995 में भी नत्थूलाल को खातेदारी नहीं दी गई है। केवल वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3/ वादीगण को ही खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह न्याय का सिद्धान्त है कि तरतीबी प्रत्यर्थी पर अपील शून्य नहीं होती है जैसा कि 1990 आरआरडी पेज 102 पर प्रतिपादित किया गया है। उनका यह भी कथन है कि आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी केवल वहीं लागू होते हैं जहां पर प्रत्यर्थी की मृत्यु होती है। लेकिन अगर प्रत्यर्थी अपील प्रस्तुत करने के समय मृत है तो इस कमी को आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 153 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र से दुरूस्त किया जा सकता है। अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभषक अपीलांटस ने अपीलाधीन निर्णय को गैर कानूनी बताते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–9–2005 को निरस्त किया जावे।

5– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने कथन किया कि वादी नत्थूलाल की मृत्यु दिनांक 8.5.2003 को हो चुकी थी, जबकि प्रथम अपील दिनांक 29.4.2005 को पेश की गई है। आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र उस मृतक के विरूद्ध पेश किया जाता है जिसकी मृत्यु दावे या अपील के दौरान होती है। वादी नत्थूलाल की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अतः आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुरूप खारिज किया है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण को वादी नत्थूलाल की मृत्यु की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि दिनांक 28.2.2005 व 5.4.2005 को एक इकरारनामा विक्रय पत्र सुरेश के हक में अपीलार्थीगण द्वारा लिखा गया है तथा दिनांक 7.1.2004 को सुरेन्द्र यादव के हक में निष्पादित किया गया है। जिसमें जयपुर का पता अंकित किया गया है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा सभी पारिवारिक समारोह में उपस्थित होते रहते हैं। अतः मृतक के विरूद्ध अपील नहीं चलने एवं 2 वर्ष बाद आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से अपील निरस्तनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.9.2005 में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है। अतः यह द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6– विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत लिखित बहस के साथ पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— रिकार्ड के अवलोकन व दोनो पक्षों की बहस के बाद यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 29—4—05 से पूर्व ही दिनांक 8—5—2003 को रेस्पोडेंट संख्या एक नाथूलाल की मृत्यु हो चुकी थी, अर्थात मृत व्यक्ति व्यक्ति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत हुई है। विधि इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रावधान केवल तब लागू होते हैं जबकि दौराने दावा या अपील किसी पक्षकार की मृत्यु हुई हो। यदि जैसा कि हस्तगत प्रकरण में हुआ है कि अपील पेश कये जाने से पूर्व ही रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी थी, तो आदेश 22 के प्रावधानों के अनुसार उसके विधिक वारिसान को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जहॉ तक आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने का प्रश्न है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है, किन्तु विधि के इस सम्बन्ध में भी स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में जब कि वादी/अपीलांट को प्रत्यर्थी संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी नहीं रही हो तो ऐसे मृतक के प्रतिनिधि को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अनुसार पक्षकार बना कर, पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

8— हस्तगत प्रकरण में यह महत्वपूर्ण तथ्य था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी अपीलांट को अपील पेश करने से पूर्व थी अथवा नहीं, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश में अंकित किया है कि चूॅकि अपीलांट्स दिनांक 7—1—2004 व दिनांक 5—4—2005 को आवश्यक रुप से जयपुर गये थे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हे रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी अपील पेश करने से पूर्व नहीं रही हो। मण्डल की इस पीठ का विनम्र मत है कि केवल दो मर्तबा किसी कार्य विशेष से जयपुर आने वाले अपीालांट को जो छत्तीसगढ में रह रहे हों, केवल मात्र दो बार जयपुर आने से ही मृत्यु के तथ्य की जानकारी निश्चित रुप से हो गयी हो, ऐसा निश्चित रूप से माने जाने का कोई आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं था। ऐसा कोई भी तथ्य प्रकट नहीं हुआ जो प्रकट कर सके कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु की निशिचित रुप से जानकारी अपील पेश करने से पूर्व अपीलांट्स को रही हो , प्रकट, बल्कि इसके विपरीत पत्रावली पर मौजूद रेस्पोडेंट संख्या 1 के नोटिस पर रिपोर्ट अंकित है और इसके आधार पर मण्डल के समक्ष तर्क किया गया है कि जैसे ही नोटिस पर अंकित रिपोर्ट से मृत्यु की जानकारी हुई, वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया।

9— ऐसी स्थिति में चूँकि विधि इस सम्बन्ध में भी स्पष्ट है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरुप हितबद्ध प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए और पक्षकारान के बीच हितों के अवधारण के प्रश्न को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना चाहिए। किन्तु विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसा कोई अवसर अपीलांट को प्रदान नहीं किया है तथा अपील को अबेट होने के आधार पर खारिज करने का आदेश पारित किया है, जबकि आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रावधान लागू ही नहीं होते हैं। इसलिए आलोच्य आदेश सही नहीं ठहराया जा सकता है।

10— परिणामस्वरुप अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 63/2005 शीर्षक कमला देवी आदि बनाम नत्थू लाल आदि में पारित आदेश दिनांक 28.9.2005 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलांट मृतक प्रत्यर्थी संख्या एक के वारिसान को अपील में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत इस निर्णय की दिनांक से एक माह की अवधि में प्रस्तुत करते हैं तो उभयपक्षों को विधि अनुसार सुनवाई का अवसर देकर विधि के अनुरुप अपील का पुनः निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के अविलम्ब भिजवाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( पंकज नरुका )
सदस्य

( मनोज कुमार नाग )
सदस्य